राजापुरिया गारमेन्ट बनाम शुभम तिवारी
परिवाद संख्या– 594/2021
UPAD040307752021

न्यायालयः– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या– 10, प्रयागराज।
उपस्थितः– योगेश जैन, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 2471

UPAD040307752021

Warrant or Summons Criminal Case/19945/2021

परिवाद संख्या–594/2021

राजापुरिया गारमेन्ट द्वारा प्रोपराइटर नितिन अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल निवासी 19 ईदगाह रामबाग, थाना कोतवाली जिला प्रयागराज।

.... परिवादी।

बनाम

शुभम कुमार तिवारी प्रोपराइटर एस.एस. वियर निवासी मांडा रोड नहबई, थाना मांडा जिला प्रयागराज।

.... अभियुक्त।

धारा– 138 एन.आई. एक्ट,
थाना– कोतवाली, जिला प्रयागराज।

निर्णय

1. प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा– 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम परिवादी राजापुरिया गारमेन्ट द्वारा प्रोपराइटर नितिन अग्रवाल द्वारा अभियुक्त शुभम कुमार तिवारी प्रोपराइटर एस.एस. वियर के विरूद्ध संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि परिवादी की फर्म का दिनांक 10.04.2019 से विपक्षी के फर्म से व्यापारिक लेन–देन है। दिनांक 22.06.2021 तक व्यापार करने के उपरांत परिवादी का विपक्षी पर मु0 11,73,728/–रु0 बकाया था। उक्त ऋण की अदायगी के लिए विपक्षी ने दिनांक 28.07.2021 को मु0 11,73,728/–रु0 का चेक सं0 486542 दिया। उक्त चेक बैंक में लगाने पर पेमेंट स्टाप की टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया, जिसकी सूचना परिवादी को दिनांक 30.07.2021 को हुई। परिवादी ने बैंक द्वारा चेक अनादरित होने की सूचना पर अपने अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.08.2021 को एक विधिक नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा गया तथा परिवादी ने फोन से भी विपक्षी को सूचना

दी। उक्त नोटिस विपक्षी को प्राप्त हुआ परन्तु विपक्षी ने भुगतान नहीं किया। विवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ है इस कारण सुनवाई करने, निर्णय करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अत : अभियुक्त को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. न्यायालय द्वारा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 द०प्र०सं० तथा अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **शुभम कुमार तिवारी** के विरुद्ध तलबी आदेश दिनांकित 12.10.2021 अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट. पारित किया गया तथा अभियुक्त **शुभम कुमार तिवारी** को उपरोक्त धारा के अन्तर्गत न्यायालय में विचारण हेतु तलब किया गया।
4. अभियुक्त न्यायालय हाजिर आया। उसके द्वारा अपनी जमानत करायी गई। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा– 251 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने यह कथन किया कि उसने परिवादी को बतौर सिक्योरिटी चेक दिया था तथा परिवादी ने बेइमानी से चेक वापस नहीं दिया।
5. परिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, मांडा रोड जिला इलाहाबाद का चेक सं0 486542 मु0 11,73,728/–रु0 दिनांकित 28.07.2021, रिटर्न मेमो असल, रजिस्ट्री रसीद, स्टेटस रिपोर्ट व नोटिस, लेजर अकाउंट प्रस्तुत किए गए है। मौखिक साक्ष्य के रूप में परिवादी द्वारा स्वंय को पी०डब्ल्यू० 1 के रूप में परीक्षित कराया है।
6. परिवादी का साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को गलत बताये जाने, गवाहों द्वारा गलत गवाही देने एवं गलत मुकदमा चलाये जाने का कथन किया है।
7. अभियुक्त द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं को डी0 डब्ल्य 0–1 के रूप में परीक्षित कराया है।
8. उभयपक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। अभियुक्त द्वारा लिखित आपत्ति भी पत्रावली पर दाखिल की है।
9. अभियुक्त द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **योगेन्द्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पाण्डेय फौजदारी अपील सं0–605/2012, इण्डस एयरवेज प्राइवेट**

लिमिटेड बनाम मैग्रम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य 2014 लॉ सूट एस.सी. 252 दाखिल की गयी है जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

10. परिवादी नितिन अग्रवाल ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र किया है तथा जिरह में कथन किया है कि उसकी दुकान का नाम राजापुरिया गारमेन्ट है तथा दुकान का जी.एस.टी. भी है। जो ग्राहक उसकी दुकान पर सामान लेने आता है उसे बिना नगद पैसा जमा कराये सामान दे देते हैं। पैसा अदा करने पर बिल बना देते हैं। बिल पर जी.एस.टी. भी कटता है। समस्त लेन–देन का वह रजिस्टर बनाता है। शुभम तिवारी कभी–कभी 10–15 हजार रुपये का भुगतान करके सामान उठा लेता था उसे याद नहीं है कि शुभम तिवारी ने कितनी बार पैसा देकर सामान उठाया है। उसे याद नहीं है कि भुगतान के रजिस्टर पर शुभम तिवारी के हस्ताक्षर हैं या नहीं। बिल पक्षकार को दिया जाता था। उसे याद नहीं है कि शुभम तिवारी ने पहली बार पूरा भुगतान किया था या नहीं। शुभम तिवारी पैसा नगद व खाते में देते थे। शुभम ने 2019 से 21 तक व्यापार किया था। इस बीच शुभम ने पैसा देकर खाता बन्द कराया था। अन्तिम बार हिसाब 2021 में हुआ था। हिसाब के 2 दिन बाद चेक दिया था। शुभम तिवारी ने चेक में दिनांक भर कर दी थी। पहले से चेक में सब कुछ भरा हुआ था। शुभम ने कहा था कि चेक 20 तारीख को लगा देना। चेक अनादृत होने पर शुभम से बात हुई थी। उसने नोटिस पढ़ा था। नोटिस 14 या 15 तारीख के आसपास पहुंच गया था। यह कहना गलत है कि उसने शुभम से पहली बार हस्ताक्षर सहित ब्लैंक चेक लिया था। यह कहना गलत है कि अंतिम बार हिसाब में उसका व शुभम का कोई लेन–देन बाकी नहीं था। यह कहना गलत है कि शुभम तिवारी ने जो पैसा नगद दिया था, उसका साक्ष्य अदालत में दाखिल नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने शुभम तिवारी से गारंटी के तौर पर चेक लिया था तथा बाद में शुभम का चेक वापस नहीं किया।

अभियुक्त साक्ष्य– डी०डब्लू० 01

11. अभियुक्त **शुभम कुमार** द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र द्वारा बयान किया गया है कि उसने वर्ष 2019 में परिवादी से कपड़ों का व्यापार किया था। व्यापार शुरू होने पर परिवादी ने सिक्योरिटी के रूप में चेक दिया था। वर्ष 2021 में उसने परिवादी से माल लेना बन्द कर दिया तथा दिनांक 22.06.2022 को उसने परिवादी का पूरा हिसाब करके पैसा दे दिया। परिवादी ने चेक यह कहकर वापस नहीं किया कि चेक खो गया है। उसे

किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही उसपर परिवादी का कुछ बकाया है।

अभियुक्त शुभम तिवारी द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया है कि उसकी दुकान मांडा रोड चौराहे पर है। उसने राजापुरिया गारमेन्ट से व्यापार किया था। व्यापार 2019 से 2022 तक हुआ था। वह नितिन अग्रवाल को ऑर्डर देता था। उसे याद नहीं है कि पहली बार में परिवादी से कितने रुपये का माल लिया था। वह बैंक के माध्यम से भुगतान करता था तथा चेक से भी भुगतान करता था। वह नहीं बता सकता कि उसने कुल कितने रुपये का व्यापार किया था। उसे परिवादी से सामान का बिल व बाउचर मिलता था। यह कहना सही है कि उसने कोई बिल या बाउचर दाखिल नहीं किया है। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न चेक संख्या 486542 दिनांकित 28.07.2021 को देखकर कहा कि यह उसका चेक है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह चेक बैंक से अनादृत हो गया था। उसे अनादृत होने की कोई सूचना बैंक से नहीं मिली तथा न ही उसे कोई मैसज आया। उसे याद नहीं है कि उसने बैंक में पेमेंट रुकवाया था। राजापुरिया गारमेन्ट द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस उसे प्राप्त हुई थी। यह याद नहीं है कि नोटिस कब प्राप्त हुई थी। उसने नोटिस प्राप्त होने के बाद चेक का भुगतान नहीं किया। उसके व नितिन अग्रवाल के मध्य सिक्योरिटी चेक के सम्बन्ध में कोई लिखा–पढ़ी नहीं हुई थी। समस्त लेन–देन का स्टेटमेंट उसके व नितिन अग्रवाल के पास रहता था। यह कहना गलत है कि उसने ऋण अदायगी के लिए चेक परिवादी को दिया था।

<u>निष्कर्ष</u>

12. उपरोक्त कथानक तथा न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम–1881 के अन्तर्गत अपराध प्रथम दृष्टया होना प्रतीत होने के कारण अभियुक्त को तलब किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>कृष्ण जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेय. जी. हेगडे, (2008) 4 एस०सी०सी० 54</u>** में अवधारित किया गया है कि पराक्रम्य लिखत अधिनियम–1881 की धारा–138 के अन्तर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि –

1. चेक परिवादी को अभियुक्त द्वारा विधिक प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व के आंशिक अथवा पूर्णतः उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किया गया था।

2. चेक उसकी वैधता की अवधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया था।
3. चेक का अनादरण बैंक द्वारा अभियुक्त के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण किया गया हो अथवा अभियुक्त के बैंक खाते में जमाधनराशि अनादरित चैक में वर्णित धनराशि से कम हो।
4.अनादरण के उपरान्त अनादरण की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया था।
5. नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अभियुक्त चेक में वर्णित राशि परिवादी को अदा करने में असफल रहा है। पन्द्रह दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त तीस दिन के अन्तराल में परिवादी द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।

13. उपर्युक्त बिन्दुओं के क्रम में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि चेक परिवादी को अभियुक्त द्वारा विधिक प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व के आंशिक अथवा पूर्णतः उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किया गया था। धारा–139 पराक्रम्य लिखत अधिनियम–1881 में यह प्रावधानित है कि जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। परिवादी को मात्र यह साबित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा चैक किसी विधिक संदाय या ऋण की देनदारी के लिए परिवादी को दिया गया था।

14. परिवादी के अनुसार परिवादी व विपक्षी के मध्य व्यापार था, जिसका हिसाब होने पर अभियुक्त की फर्म पर मु0 11,73,728/–रु0 बकाया थे तथा अदायगी पर अभियुक्त ने उसे विवादित चेक सं0 486542 मु0 11,73,728/–रु0 दिनांकित 28.07.2021 दिए तथा उक्त चेक पेमेंट स्टॉप की टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया। परिवादी द्वारा असल चेक, रिटर्न मेमो व नोटिस पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं। परिवादी को चेक सं0 486542 मु0 11,73,728/–रु0 दिनांकित 28.07.2021 की देनदारी साबित करनी होगी। परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को सामान दिया था तथा हिसाब होने पर धनराशि वापस करने के लिये अभियुक्त द्वारा उपरोक्त चेक परिवादी को दिये गये थे। परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा शपथपत्र व जिरह में यह कथन किया गया

है कि उसने अभियुक्त को माल दिया था। परिवादी द्वारा लेजर अकाउंट की छायाप्रति भी पत्रावली पर दाखिल की गयी है। अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसने परिवादी के साथ व्यापार किया था। परिवादी जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि परिवादी का अभियुक्त पर किसी प्रकार का कोई संदाय ऋण नही था। परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में स्पष्ट रूप से यह साबित किया है कि उसने अभियुक्त के साथ व्यापार किया था। अत: यह स्पष्ट है कि परिवादी का अभियुक्त पर संदाय ऋण था।

15. परिवादी ने चेक सं0 486542 मु0 11,73,728/–रु0 दिनांकित 28.07.2021 पत्रावली पर दाखिल किया है तथा असल बैंक मीमो भी पत्रावली पर दाखिल किये हैं, जिनके अनुसार उक्त चैक बैंक द्वारा दिनांक 30.07.2021 को अनादृत किया गया था। चेक अनादृत होने पर परिवादी ने दिनांक 11.08.2021 को अभियुक्त को नोटिस दिया। परिवादी द्वारा नोटिस की प्रति व रजिस्ट्री रसीद पत्रावली पर दाखिल की गयी है। अतः यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उक्त चैक की समस्त कार्यवाही धारा 138 एन.आई.एक्ट में दिये गये समय सीमा के अंतर्गत की गई है।

16. बचाव में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नही हुआ है तथा परिवाद पत्र असामयिक है। पत्रावली पर संलग्न नोटिस के अनुसार नोटिस अभियुक्त के निवास स्थान पर प्रेषित किया गया था। पत्रावली पर संलग्न नोटिस से यह स्पष्ट है कि चेक अनादृत होने के पश्चात नोटिस रजिस्टर्ड से प्रेषित किया गया था। पत्रावली पर संलग्न रजिस्ट्री की ट्रैकिंग रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि दिनांक 12.08.2021 को नोटिस भारतगंज एस.ओ. से बी.ओ. के लिए डिस्पैच हो गया था। परिवादी द्वारा नोटिस की सम्पूर्ण ट्रैकिंग रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है। धारा 27 सामान्य खण्ड नियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा सामान्य समय में नोटिस तामील होने की अवधारणा की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में नोटिस प्रयागराज के पते पर ही प्रेषित किया गया था, जिससे न्यायालय द्वारा यह परिकल्पना की जा सकती है कि नोटिस 4–5

दिनों में अभियुक्त के निवास स्थान पर पहुंच गया होगा। परिवादी द्वारा दिनांक 04.09.2021 को परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। अतः उक्त अवधारणा के उपरांत यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया गया है कि उसे नोटिस प्राप्त हो गया था तथा नोटिस प्राप्त होने के उपरांत उसने धनराशि अदा नहीं की थी। अतः अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

17. It has been held by Hon'ble Supreme Court in **C.C. Alavi Haji vs Palapetty Muhammed & Anr 2007 AIR SCW 3578** that " It is also to be borne in mind that the requirement of giving of notice is a clear departure from the rule of Criminal Law, where there is no stipulation of giving of a notice before filing a complaint. Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can, within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 of the Act, make payment of the cheque amount and submit to the Court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and, therefore, the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the Court along with the copy of the complaint under Section 138 of the Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C. Act and Section 114 of the Evidence Act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very object of the legislation. As observed in Bhaskarans case (supra), if the giving of notice in the context of Clause (b) of the proviso was the same as the receipt of noticea trickster cheque drawer would get the premium to avoid receiving the notice by adopting different strategies and escape from legal consequences of Section 138 of the Act."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार अभियुक्त को नोटिस प्राप्त न होने की दशा में अभियुक्त न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने पर 15 दिन के अन्तर्गत चेक की धनराशि का भुगतान परिवादी को कर सकता है तथा

नोटिस मात्र चेक धनराशि के भुगतान की डिमाण्ड के लिये प्रेषित किया जाता है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने पर परिवादी की धनराशि के भुगतान के लिये कोई प्रयास नही किया गया।

18. अभियुक्त द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि उसने परिवादी को बतौर सिक्योरिटी चेक दिया था। उपरोक्त कथन को साबित करने का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त ने स्वयं को न्यायालय में परीक्षित कराया है। अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसका व परिवादी फर्म का व्यापार था तथा प्रत्येक माल का बिल उसे मिलता था। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का बिल पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त द्वारा परिवादी फर्म की समस्त धनराशि अदा कर दी गयी थी। अभियुक्त ने चेक पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। परिवादी के द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि चेक पर धनराशि, नाम अभियुक्त के द्वारा ही भरा गया था। अतः न्यायालय के मत में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा मात्र व्यापारिक लेन-देन के लिए बतौर सिक्योरिटी चेक दिया गया था। अतः अभियुक्त का उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Kalamani Tax & Anr. Vs P. Bala Subramaniyam (2021 SCC online SC 75) में यह अवधारित किया गया है कि–

"Once the issuance of the cheque is established, either by the admission or by positive evidence, the presumtion u/s 139 of NI Act, 1881 arises. These presumtions shall end only when the contrary is proved by the accused that is cheque was not issued for consideration or in discharge of any debt or liability.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Bir Singh vs. Mukesh Kumar [(2019)4 SCC 197] में यह अवधारित किया गया है कि–

"A meaningful reading of the provisions of Negotiable Instruments Ac' including in, in particular, Sections 20, 87 & 139 makes it amply clear that a person who signs a cheque and makes it over to the payee remains liable unless he adduces evidence to rebut the presumtion that the cheque had been issued for payment of the debt or in discharge of a

liability. It is immaterial that the cheque may have been filled in by any other person other than the drawer, if the cheque is duly signed by the drawer. If the cheque is otherwise valid, the penal provisions of Dection 138 would be attracted.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Oriental Bank of Commerce Vs Prabodh kumar Tewan(2022 Live Law (sc) 714) में अवधारित किया गया है कि "*A Drawer handing over a cheque signed by him is liable unless it is proved by adducing evidence at the trial that the cheque was not in discharge of a debtor liability.*"

20. यह दायित्व अभियुक्त का है कि वो न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक विधिक प्रर्वतनीय ऋण के आंशिक अथवा पूर्णतः उन्मोचन हेतु नहीं दिया गया है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने बतौर सिक्योरिटी परिवादी को चेक दिया था परन्तु उक्त कथन को साबित करने के लिये अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नही किया गया है तथा परिवादी के साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त ने बतौर गारण्टी परिवादी को चेक दिया था। उपरोक्त मामलें में अभियुक्त ऐसा कोई भी साक्ष्य दाखिल करने में असफल रहा है। इस प्रकार परिवादी अपने कथनों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। मात्र कथनों के आधार पर परिवादी द्वारा दाखिल चैक को नहीं नकारा जा सकता, जिस पर स्वयं अभियुक्त के हस्ताक्षर हो। माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के पारित किये गये निर्देशों के अनुसार यह दायित्व अभियुक्त का है कि वो न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्ष्य दे, जिससे यह सिद्ध हो सके की प्रश्नगत चैक "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण" हेतु नहीं दिया गया था। ऐसा करने में अभियुक्त असफल रहा है तथा परिवादी द्वारा अपने कथनों को साबित किया गया है। प्रस्तुत मामले में चेक फर्म मेसर्स एस.एस.वियर द्वारा जारी किया गया है। परन्तु उक्त फर्म का एक मात्र प्रोपराइटर हस्ताक्षरकर्ता शुभम कुमार तिवारी है, जिस कारण चेक की समस्त जिम्मेदारी शुभम कुमार तिवारी की है।

21. उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त शुभम कुमार तिवारी को धारा– 138 एन.आई.एक्ट. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

राजापुरिया गारमेन्ट बनाम शुभम तिवारी
परिवाद संख्या– 594/2021
UPAD040307752021

आदेश

22. अभियुक्त शुभम कुमार तिवारी प्रोपराइटर मेसर्स एस.एस. वियर को धारा– 138 एन.आई.एक्ट. थाना कोतवाली, जिला प्रयागराज के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरुद्ध गैर–जमानती वारंट दिनांक 20.05.2026 के लिये जारी किये जाय।

दिनांक – 13.05.2026

(योगेश जैन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–10, प्रयागराज।
जे.ओ. कोड–यू.पी. 2471

निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक– 13.05.2026

(योगेश जैन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–10, प्रयागराज।
जे.ओ. कोड–यू.पी. 2471